कार्यालय कलेक्टर, जिला गरियाबंद (छत्तीसगढ़)

–: विज्ञापन :–

कमांक / 5096 / सीधी भर्ती / 2022 गरियाबंद, दिनांक 15 / 09 / 2022

छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर के परिपत्र कमांक / एफ 13–19 / 2012 / आ.प्र. / 1–3 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 27.06.2022 के द्वारा जिले में तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के रिक्त पदों पर, "विशेष पिछड़ी जनजाति" के पात्र युवाओ को उनकी पात्रतानुसार जिले सीधी भर्ती के रिक्त पदों के विरूध्द भर्ती करने की स्वीकृति प्रदान किये जाने के फलस्वरूप, जिले में तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी में अनुसूचित जनजाति वर्ग अंतर्गत "विशेष पिछड़ी जनजाति" हेतु 20% आरक्षित पदो में, सीधी भर्ती के रिक्त पदों के विरूध्द आवेदको की भर्ती किया जाना है। उक्त अनुकम में राजस्व विभाग अंतर्गत सीधी भर्ती के रिक्त पदों को भरे जाने हेतु **जिला गरियाबंद के मूल निवासी तथा कमार/भुंजिया जाति** के इच्छुक अभ्यर्थी सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास विभाग, कक्ष कमांक–56 संयुक्त जिला कार्यालय गरियाबंद में **दिनांक 30.09.2022 तक** निर्धारित आवेदन मय दस्तावेज (शैक्षणिक योग्यता / जाति / निवास प्रमाण पत्र / जीवित रोजगार पंजीयन) उपस्थित होकर आवेदन कर सकते है। निर्धारित आवेदन प्रारूप जिला गरियाबंद के वेबसाईड www.gariaband.gov.in में उपलब्ध है।

राजस्व विभाग अंतर्गत तृतीय श्रेणी के अनुसूचित जनजाति वर्ग अंतर्गत "विशेष पिछड़ी जनजाति" हेतु 20% आरक्षित पदो में, सीधी भर्ती के रिक्त पदों का विवरण निम्नानुसार है :–

क.	पद का नाम	श्रेणी	कुल रिक्तियां	पद हेतु न्यूनतम शैक्षणिक / तकनीकी अर्हता
1	स्टेनो टाइपिस्ट	तृतीय श्रेणी	1	01. 12 वीं 02. किसी मान्यता प्राप्त मंडल / संस्था से 25 शब्द प्रति मिनट की गति से कम्प्यूटर हिन्दी टाईप लेखन परीक्षा उत्तीर्ण और हिन्द्री शीघ्रलेखन में 60 शब्द प्रति मिनट की गति। 03. किसी मान्यता प्राप्त मंडल / संस्था से डाटा एन्ट्री आपरेटर / प्रोग्रामिंग में एकवर्षीय डिप्लोमा / प्रमाण पत्र उत्तीर्ण तथा डाटा एंट्री की गति 5000 की डिप्रेशन प्रतिघंटा। 04. किसी मान्यता प्राप्त संस्था से हिन्दी अथवा अंग्रजी मुद्रलेखन परीक्षा उत्तीर्ण प्रमाण–पत्र। 05. कम्प्यूटर में हिन्दी टायपिंग का 5000 की डिप्रेशन प्रति घंटा की गति (कौशल परीक्षा)
2	वाहन चालक	तृतीय श्रेणी	1	01. आठवी. 02. चार पहिये वाहन / लाईट मोटर विकल चलाने का जीवित / वैद्य ड्रायविंग लायसेंस।

नियम एवं शर्ते :–

1. यह भर्ती प्रकिया छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर के परिपत्र कमांक / एफ 13–19 / 2012 / आ.प्र. / 1–3 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 27.06.2022 के अनुरूप संपादित की जायेगी ।
2. तृतीय श्रेणी के पदों पर भर्ती लिखित परीक्षा / साक्षात्कार में प्राप्त अंक के आधार पर तैयार मेरिट लिस्ट से की जायेगी।
3. न्यूनतम एवं अधिकतम आयु सीमा आवेदक की आयु दिनांक 01.01.2022 को न्यूनतम 18 वर्ष तथा अधिकतम 35 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। इसके साथ ही अधिकतम आयु सीमा में छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय–समय पर आयु सीमा में छूट संबंधी जारी आदेश / निर्देश नियम आदेशानुसार छूट मान्य होगी।

सामान्य नियम एवं शर्ते तथा आवश्यक निर्देश :–

1. अभ्यर्थियों द्वारा पदों के लिए भर्ती नियम में विहित अनिवार्य शैक्षणिक/तकनीकीय अर्हताए आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि को पूर्ण कर लेना अनिवार्य होगा। एवं समस्त मूल दस्तावेज एवं स्व प्रमाणित प्रतियां सत्यापन के समय अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना होगा ।
2. जिला गरियाबंद का मूल निवासी होना आवश्यक है। इस हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा जारी मूल निवास प्रमाण पत्र संबंधित को दस्तावेज सत्यापन के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
3. माननीय उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ रिट पिटीशन (सी) 591/2012, रिट पिटीशन (सी) 592/2012, रिट पिटीशन (सी) 593/2012, या रिट पिटीशन (सी) 594/2012, में पारित होने वाले आदेष/निर्णय के अध्यधीन रहेगी एवं माननीय न्यायालय के अंतिम आदेश/निर्णय के अनुसार विज्ञापित किए गये पदों की वर्गवार रिक्तियों की संख्या में परिवर्तन भी हो सकता है।
4. छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रषासन विभाग के परिपत्र कमांक/एफ 20–4/2014/आ.प्र./1–3 दिनांक 27.09.2014 अनुसार केवल ऐसे व्यक्ति सेवाओं/पदों में आरक्षण के लिये पात्र होंगे, जो कम से कम 40 प्रतिषत संगत दिव्यांगता से ग्रस्त हों। जो व्यक्ति आरक्षण का लाभ उठाना चाहते है, उन्हे संक्षम मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी किया गया दिव्यांगता प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
5. समक्ष प्राधिकारी द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण पत्र दस्तावेज सत्यापन के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
6. पूर्व में किसी अभ्यर्थी को शासकीय सेवाओं से बर्खास्त किया गया हो तो वह चयन हेतु पात्र नहीं होंगे। उक्त संबंध में आवेदन के साथ शपथ पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
7. शासकीय/अर्द्धषासकीय संस्थानों में कार्यरत कर्मचारियों को अपने नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण पत्र दस्तावेजों के सत्यापन के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा अन्यथा चयन हेतु पात्र नहीं होंगे।
8. उल्लेखानुसार प्रावीण्यता/चयन सूची में समान अंक प्राप्त होने की स्थिति में जन्म तिथि के आधार पर वरियता तय की जावेगी अर्थात जिस अभ्यर्थी की जन्मतिथि पहले होगी उसके अनुसार वरियता में उच्च कम पर रखा जावेगा।
9. यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी नियुक्ति होगी चयनित उम्मीदवारों की नियुक्ति छ.ग. शासन सामान्य प्रषासन विभाग के पत्र कमांक/एफ 1–1/2017/1–3 दिनांक 29.07.2020 के साथ संलग्न राजपत्र (असाधारण) मे प्रकाषित अधिसूचना कमांक एफ 1–1/2017/1–3 दिनांक 28.07.2020 के तहत "किसी सेवा या पद पर सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किसी भी व्यक्ति को प्रथमतः तीन वर्ष की परिवीक्षा पर रखा जावेगा " एवं वित्त विभाग द्वारा जारी आदेष इन नियुक्तियों पर पूर्णरूपेण लागू होंगे।
10. 03 वर्ष की परिवीक्षा अवधि के दौरान चयनित अभ्यर्थियों/शासकीय सेवक को वित्त निर्देश 21/2020 अनुसार स्टायपेण्ड देय होगा। संषोधित छ.ग. मूलभूत नियम–'22 सी (1) के अनुसार प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय वर्ष कमशः उस पद के वेतनमान के न्यूनतम 70%, 80% एवं 90% राशि स्टायपेण्ड के रूप में दिया जावेगा।
11. अभ्यर्थी द्वारा दी गई जानकारी किसी भी स्तर पर असत्य/गलत पाई जाती है तो बिना किसी पूर्व सूचना के आवेदक की चयन हेतु दावेदारी अमान्य करते हुए संबंधित के विरूद्ध नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जावेगी।
12. आवेदक का चयन होने पर पुलिस सत्यापन में किसी प्रकार की प्रतिकूल टीका पाये जाने की स्थिति में बिना कारण बताये चयन/नियुक्ति निरस्त कर दी जावेगी।
13. आवेदन करने के पूर्व आवेदक अपनी अर्हता की जांच स्वयं करें तथा विज्ञापित पद के लिए निर्धारित अर्हता/शर्तो को पूरा करने पर ही आवेदन करें। आवेदक द्वारा आवेदन में गलत अथवा असत्य जानकारी भरे जाने की संपूर्ण जवाबदारी स्वयं अभ्यर्थी की होगी।
14. अनर्हताएं :– छ.ग. सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्ते) नियम 1961 के नियम–6 के अनुसार निम्नलिखित अनर्हता होगी :–
15. कोई भी पुरूष अभ्यर्थी जिसकी एक से अधिक पत्नियां जीवित है और कोई भी महिला अभ्यर्थी जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो जिसकी पहले ही एक पत्नि जीवित हो, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा/नहीं होगी। परंतु यदि शासन का इस बात से समाधान हो जाये कि ऐसा करने का विषेष कारण है, तो वह ऐसे अभ्यर्थी को इस नियम के परावर्तन से छूट हो सकेगा।

16. निर्वचनः– इस विज्ञापन में उल्लेखित शर्ते महत्वपूर्ण निर्देश/जानकारी आदि के निर्वचन का अधिकार चयन समिति के पास सुरक्षित रहेगा एवं इस संबंध में किसी भी अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन मान्य नहीं किया जावेगा एवं चयन समिति द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम तथा अभ्यर्थी पर बंधनकारी होगा।
17. उपरोक्त भर्ती में नियमानुसार आरक्षण रोस्टर का पालन किया गया है।

कलेक्टर
गरियाबंद (छ.ग.)

आवेदन पत्र का प्रारूप

प्रति,

कलेक्टर,
जिला – गरियाबंद (छ.ग.)

स्वप्रमाणित पासपोर्ट साईज फोटो

01. आवेदित पद का नाम – .....

02. आवेदक का पूरा नाम(हिन्दी में) – .....

(अंग्रेजी में) – .....

03. पिता/पति का नाम (हिन्दी में) – .....

(अंग्रेजी में) – .....

04. माता का नाम (हिन्दी में) – .....

(अंग्रेजी में) – .....

05. अभ्यर्थी (महिला/पुरूष) – .....

06. जन्मतिथि – .....

07. आयु दिनांक 01.01.2022 की स्थिति में – .....

(प्रमाण पत्र संलग्न करें अथवा 10 वीं की अंकसूची) दिन ..... माह.....वर्ष .....

08. (i)आवेदक की श्रेणी –

(आवेदक किस श्रेणी का है विवरण जहां लागू को कृपया ( ) चिन्ह लगावें।

अ.ज.जा./वि.पि.ज.जा.	अजा	अपिव	सामान्य
☐	☐	☐	☐

(ii) जाति – .....

09. स्थाई पता – .....

.....

.....

10. पत्र व्यवहार का पता – .....

.....

.....

11. दूरभाष/मोबाईल नंबर – .....

12. निःशक्तता क प्रकार एवं प्रतिशत – प्रकार .....प्रतिशत.....

(प्रमाण पत्र संलग्न करें यदि लागू हो)

13. छ.ग. के मूल निवासी का प्रमाण पत्र संलग्न करें – **निवासी जिला का नाम – गरियाबंद**

14. रोजगार पंजीयन क्रमांक एवं जारी दिनांक– एवं आगामी नवीनीकरण तिथि .....
पंजी कमांक .....
जारी दिनांक .....
नवीनीकरण की तिथि .....

15. शैक्षणिक योग्यता (प्रत्येक का प्रमाण पत्र का छायाप्रति अनिवार्यतः संलग्न करें) :–

क्र.	परीक्षा का नाम	संस्था/वि.वि. का नाम	उत्तीर्ण करने का वर्ष	पूर्णांक	प्राप्तांक	प्रतिशत
1						
2						
3						
4						
5						

16. क्या उम्मीद्वार विवाहित हैं ? हां/नहीं – .....
17. यदि विवाहित हैं तो विवाह की तिथि – .....
18. जीवित बच्चों की संख्या – .....

क्र.	नाम	लिंग	जन्मतिथि
1	2	3	4

संलग्न सहपत्रों की संख्या :– (स्वप्रमाणित)

1. ..... 2. .....
3. ..... 4. .....
5. ..... 6. .....

आवेदक का हस्ताक्षर

घोषणा पत्र

मैं घोषणा करता/करती हूँ, कि उपरोक्त विवरण पूर्णतः सत्य एवं पूर्ण हैं। किसी भी स्थिति में विवरण असत्य पाये जाने पर मेरी उम्मीद्वारी स्वमेव निरस्त हो जायेगी तथा मेरे सभी दावे समाप्त हो जायेंगें।

दिनांक :–
स्थान :–

हस्ताक्षर .....
आवेदक का नाम .....

पृ. कमांक / 4096-A / वित्त–स्था. / 2022 गरियाबंद, दिनांक 15 / 09 / 2022

प्रतिलिपि,

01. छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर के परिपत्र कमांक / एफ 13–19 / 2012 / आ.प्र. / 1–3 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 27.06.2022 के तारतम्य में सादर सूचनार्थ।
02. जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, गरियाबंद की ओर सूचनार्थ एवं पृष्ठांकित कर निर्देशित किया जाता है कि उक्त सूचना पत्र को वेबसाईट में अपलोड किया जाना सुनिश्चित करें।
03. जनसम्पर्क अधिकारी, गरियाबंद को सूचनार्थ एवं पृष्ठांकित कर निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्तानुसार सूचना को जिला स्तरीय दो मुख्य बहुप्रसारित समाचार पत्रों में प्रकाशन किया जाना सुनिश्चित करें।
04. सूचना पटल में चस्पा हेतु।

अपर कलेक्टर
जिला गरियाबंद